राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकल पीठ आपराधिक अपील संख्या 283/1990

चुन्नी लाल पुत्र श्री रिजुमल, जाति खत्री, निवासी बाडमेर

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री एलडी खत्री

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री अनीस भूरट, लोक अभियोजक

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

02/12/2022

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत वर्तमान अपील सत्र प्रकरण संख्या 51/1989 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.08.1990 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत अपीलार्थी को धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद इसे "एनडीपीएस एक्ट" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 8 और 18 के तहत 1,00,000/- रुपये के जुर्माने और भुगतान में चूक करने पर दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माने से, अतिरिक्त ढाई वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामला यह था कि एस.एच.ओ., बाडमेर-घनश्याम सिंह (पीडब्लू-7) को पुलिस अधीक्षक, बाडमेर ने एक रिजुमल खत्री के निवास और दुकान पर तलाशी लेने के लिए कहा था, जो कथित तौर पर अवैध अफ़ीम की खरीद-बिक्री का

व्यवसाय गतिविधियों में लिप्त था।

3. ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर, एस.एच.ओ., बाड़मेर ने मेसर्स चुन्नीलाल बाबूलाल के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों की तलाशी ली, जो उक्त रिजुमल खत्री की मालिकाना कंपनी है।

4. इससे पहले कि पुलिसकर्मी दुकान (मैसर्स चुन्नीलाल बाबूलाल) तक पहुंच पाते, उन्होंने दो व्यक्तियों को उक्त दुकान से भागते देखा और यह देखकर कि पुलिस आ रही है, भागने की कोशिश कर रहे थे। उन व्यक्तियों को रोका गया और उनकी तलाशी ली गई; जिनमें से एक वर्तमान अपीलार्थी (चुन्नीलाल पुत्र रिजुमल खत्री) था जो एक बक्सा/कंटेनर ले जा रहा था।

5. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों और राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने की उसकी पसंद के बारे में समझाया गया था। लेकिन जब अपीलार्थी ने इस तरह के विकल्प का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो जब्ती अधिकारी स्वयं अपीलार्थी की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़े और उसके पास मौजूद बक्से की भी तलाशी ली। यह पता चला कि अपीलार्थी जो बक्सा ले जा रहा था उसमें 8.5 किलोग्राम पदार्थ था जिसके अफ़ीम होने का संदेह था।

6. प्रासंगिक नहीं हो सकता है, लेकिन तथ्यात्मक वर्णन को पूरा करने के लिए यह ध्यान दिया जा सकता है कि दूसरे व्यक्ति (बाबूलाल) की भी तलाशी ली गई और उसके पास लगभग 570 ग्राम वही पदार्थ पाया गया।

7. उक्त डिब्बे से 30 ग्राम पदार्थ नमूने के तौर पर निकालकर रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया, जो कि अफीम होना बताया/पुष्टि किया गया।

8. आरोप-पत्र दायर होने पर, अपीलार्थी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 के तहत आरोप तय किए गए, जिन्होंने आरोप से इनकार किया और मुकदमा चलाने की मांग की।

9. मुकदमे के दौरान, जेठू सिंह (पीडब्लू-1); ओम प्रकाश (पीडब्लू-2); पबाराम (पीडब्लू-3); गोकलाराम (पीडब्लू-4); चन्नाराम (पीडब्लू-5); अभियोजन पक्ष और बी.आर. द्वारा स्थापित मामले को सिद्ध करने के लिए भंवर सिंह (पीडब्लू-6) और घनश्याम सिंह (पीडब्लू-7) गवाह के रूप में गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए। बचाव की ओर से निम्बावत (DW-1) उपस्थित हुए।

10. निम्नलिखित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किये गये:-

प्रदर्श पी/1- अग्रेषण पत्र दिनांक 04.07.1989

प्रदर्श पी/2- फर्द बारामदगी प्रदर्श पी/3- फर्द गिरफ्तारी चुन्नीलाल

प्रदर्श पी/4- धारा 161 के तहत ओम प्रकाश का बयान प्रदर्श पी/5- धारा 161 प्रदर्श पी/6 के तहत पबाराम का बयान- एफएसएल रसीद

प्रदर्श पी /7- मालखाना प्रविष्टि रजिस्टर प्रदर्श पी /8- प्रमाणपत्र

प्रदर्श पी/9- रोज़नामचा रिपोर्ट प्रदर्श पी/10- रोज़नामचा रिपोर्ट प्रदर्श पी/11- एफआईआर पर्चा प्रदर्श पी/12- एफएसएल रिपोर्ट

प्रदर्श पी/13- रिमांड आवेदन पत्र प्रदर्श पी/14- रिपोर्ट

प्रदर्श डी/1- धारा 161 प्रदर्श डी/2- साइट प्लान के तहत गोखलाराम का बयान

प्रदर्श डी/3- धारा 161 के तहत भंवर सिंह का बयान प्रदर्श डी/4- धारा 161/आरोप-पत्र के तहत रूपराम का बयान प्रदर्श डी/5- राशन कार्ड चुन्नीलाल

प्रदर्श डी/6- फोटोग्राफ

11. आरोपी-याचिकाकर्ता(गण) की ओर से, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बेगुनाही सिद्ध करने के लिए और यह दिखाने के लिए विभिन्न तर्क दिए कि तलाशी विभिन्न मामलों में अवैध थी, जिसमें यह भी शामिल था कि जब्ती अधिकारी ने धारा 40, 42 के तहत निर्धारित आदेश और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 और प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

12. विद्वान निचली अदालतने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री पर विचार किया और अपीलार्थी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 के तहत अपराध का दोषी ठहराया और उपरोक्त पैरा संख्या 1 में बताए अनुसार सजा सुनाई, जबकि अभियुक्त ओर से उठाए गए तर्कों/आधारों को अपास्त कर दिया।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री खत्री ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, बयानों और दस्तावेजों के माध्यम से अदालत का रुख किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया था और गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी के कब्जे से कभी भी कोई वसूली नहीं की गई जैसाकि आरोप लगाया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित पूरा मामला झूठा था।

14. इस संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अफीम की बरामदगी के संबंध में मोटबीर, अर्थात ओम प्रकाश (पीडब्लू-2) और पबाराम (पीडब्लू-3) मुकर गए थे, जो इस तथ्य का संकेत है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि वसूली स्वयं सिद्ध नहीं हुई थी, इसलिए अपीलार्थी की सजा कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

15. विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोरदार तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के अपने मामले के अनुसार, वर्जित पदार्थ की मौजूदगी की जानकारी रिज़ुमल (अपीलार्थी के पिता) की दुकान या निवास पर थी और इसलिए, यह जब्ती अधिकारी/अभियोजन पक्ष के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के तहत अनिवार्य तलाशी के लिए वारंट प्राप्त करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि तलाशी वारंट के अभाव में, जब्ती अधिकारी को इसे प्राप्त न करने के कारणों को रिकॉर्ड करना और 72 घंटे की अवधि के भीतर उच्च अधिकारी को इस आशय की जानकारी देना आवश्यक था।

16. इस तर्क को स्पष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने रोज़नामचा और जब्ती अधिकारी - पीडब्लू-7 के बयान सहित रिकॉर्ड के माध्यम से अदालत का रुख किया, ताकि यह उजागर किया जा सके कि तलाशी वारंट प्राप्त करने में असमर्थता के कारणों की रिकॉर्डिंग के बारे में कोई फुसफुसाहट भी नहीं है। इसकी प्रतिलिपि उच्च अधिकारियों को भेज कर छोड़

दिया गया है।

17. रिकॉर्डिंग के आधार की अनुपस्थिति और इसकी सूचना के बारे में अदालत को संतुष्ट करने के बाद, श्री खत्री ने तर्क दिया कि चूंकि तलाशी और जब्ती एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में की गई थी, न केवल तलाशी और जब्ती बल्कि परिणामी भी अपीलार्थी का दोष सिद्ध हो गया है।

*18.* उपरोक्त अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने जगदीश और अन्य बनाम राजस्थान सरकार 2011 में (1) सी.आर.एल.आर. (राजस्थान) 787 में प्रकाशित मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

19. श्री खत्री द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि कानून के विपरीत है क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह तर्क दिया गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 जब्ती अधिकारी को तलाशी लेने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके अधिकारों के बारे में समझाने का आदेश देती है, जबकि वर्तमान मामले में, जब्ती अधिकारी तलाशी के लिए आगे बढ़ा है। अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में बताए बिना और इस तरह, प्रश्न में तलाशी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के विपरीत थी।

20. विद्वान अधिवक्ता ने विस्तार से बताया कि आईओ ने अपीलार्थी को केवल यह बताया/सूचित किया, बजाय यह समझाने के कि आरोपी-अपीलार्थी के पास राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का "अधिकार" है। उन्होंने 2020(1) सीआर.एल.आर. में रिपोर्ट किए गए लादूलाल गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार (राजस्थान) 1, और संजीव और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (उच्चतम न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 870/2016) यह प्रमाणित करने के लिए कि अब यह एक स्थापित प्रस्ताव है कि धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से और सटीक रूप से अनुपालन करने की आवश्यकता है; केवल पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त नहीं है।

21. एस.के. राजू @ अब्दुल हक @ जग्गा बनाम पश्चिम बंगाल सरकार ने (2018) 9 एससीसी

708 में दी गई रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की हालिया व्याख्या के अनुसार, धारा 50 के प्रावधान उन मामलों में भी लागू होते हैं जहां व्यक्ति के साथ-साथ दोनों भी लागू होते हैं। व्यक्ति के सामान की तलाशी ली जाती है, भले ही बरामदगी केवल व्यक्ति के सामान से ही की गई हो।

**22.** विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले की जड़ तक जाने वाले दोनों विधिक तर्कों को निचली अदालतने सरसरी तौर पर अपास्त कर दिया है और इस प्रकार जो आदेश दिया गया है, उसे अपास्त कर दिया जाना चाहिए।

**23.** श्री खत्री द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष ने केवल यह दिखाया है कि बरामद पदार्थ के 30 ग्राम का नमूना एक प्लास्टिक पॉलिथीन बैग में पैक किया गया था और फिर एक टिन धातु के बक्से में पैक किया गया था और सील कर दिया गया था। लेकिन यह तथ्य कि सील और पैकेजिंग बरकरार रहे, संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है।

**24.** उन्होंने तर्क दिया कि मौके पर कोई नमूना सील तैयार नहीं की गई थी और जब नमूने का फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किया गया तो इसकी मात्रा 28 ग्राम पाई गई, इसलिए नमूने के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रकार तर्क दिया कि अपीलार्थी-अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाया गया और दोषी ठहराया गया है।

**25.** विद्वान अधिवक्ता ने 1996 सीआर.एल.आर. (राजस्थान) 1985 में रिपोर्ट किए गए रूसी बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय पर भरोसा किया। उनका दावा है कि मौके पर सील मेमो तैयार न होना एफएसएल रिपोर्ट पर संदेह पैदा करता है और आरोपी को बरी करने के लिए पर्याप्त आधार है।

**26.** इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक श्री अनीस भुरत ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलें इतनी तकनीकी हैं कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी उपयुक्त रूप से सिद्ध हुई है और अपीलार्थी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में

कोई दोष नहीं ढूंढ पाया है; इसलिए, उसकी सजा बरकरार रखी जानी चाहिए।

**27.** एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के बारे में अपीलार्थी के तर्कों के संबंध में, विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी तब की गई थी जब अपीलार्थी भागने की कोशिश कर रहा था - सार्वजनिक सड़क पर, न कि दुकान या घर में, इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

**28.** उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिबंधित पदार्थ (8.5 किलोग्राम अफ़ीम) अपीलार्थी द्वारा ले जाए जा रहे बक्से से बरामद किया गया था, न कि उसके व्यक्ति से, क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के ऐसे प्रावधान भी लागू नहीं थे।

**29.** उपरोक्त अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान लोक अभियोजक ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:

*i.* *जीत राम बनाम द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़, एआईआर 2020 एससी 4313 में प्रकाशित;*

*ii.* *दयालु कश्यप बनाम. छत्तीसगढ़ राज्य, आपराधिक अपील क्रमांक 130/2022, एसएलपी क्रमांक 514/2021, दिनांक 25.01.2022 को निर्णय लिया गया और;*

*iii.* *कल्लू खान बनाम. राजस्थान सरकार, आपराधिक अपील संख्या 1605/2021, निर्णय 11.12.2021 को।*

**30.** उनके इस रुख के बावजूद कि धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, विद्वान लोक अभियोजक ने एक वैकल्पिक दलील दी कि इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। उन्होंने जब्ती अधिकारी (पीडब्लू-7) की गवाही के माध्यम से अदालत का रुख किया और बयान के प्रासंगिक हिस्से पर जोर देते हुए तर्क दिया कि आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रदान किए गए उसके अधिकारों के बारे में समझाया गया था और इसलिए, अपीलार्थी की दलील इस संबंध में अस्वीकार किये जाने योग्य है।

**31.** पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

32. अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर, इस न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित किया है कि अपीलार्थी के सचेत कब्जे से 8.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ (अफीम) बरामद किया गया था। तथ्य यह है कि मोटबीर मुकर गए हैं, इसका अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ता है। मोटबीरों - ओम प्रकाश और पबाराम के रुख को नजरअंदाज किया जा सकता है कि वसूली उनकी उपस्थिति में नहीं की गई थी, इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने 'फर्द वसूली' पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

33. इसके अलावा, जब्ती अधिकारी और जांच अधिकारी और अन्य अभियोजन गवाहों ने बिना किसी संदेह के सिद्ध कर दिया है कि वसूली अपीलार्थी के कब्जे से की गई थी और अपीलार्थी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य/स्टैंड को अस्थिर करने में सक्षम नहीं है।

34. यह न्यायालय श्री खत्री के तर्कों से अधिक आश्वस्त नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने सील का नमूना तैयार नहीं किया था, और रासायनिक विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में पहुंचने पर मात्रा में कमी (30 ग्राम से 28 ग्राम) का सुझाव दिया गया है।

35. इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि इस तरह की तुच्छ विसंगतियां सुस्थापित अभियोजन मामले को ध्वस्त नहीं कर सकती हैं, जिसमें आरोपी से मादक पदार्थ की बरामदगी सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि बरामद किया गया पदार्थ एक प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया है।

36. अपीलार्थी द्वारा *रूसी (सुप्रा.)* के निर्णय पर भरोसा किया गया, जो तथ्यों पर स्पष्ट रूप से भिन्न है, क्योंकि उस मामले में, न तो एफआईआर, न ही रिपोर्ट, और न ही जब्ती ज्ञापन से पता चला कि कोई सील छाप तैयार की गई थी, जो कि मौजूदा मामले में ऐसा नहीं है।

37. विद्वान लोक अभियोजक के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि चूंकि पदार्थ की बरामदगी अपीलार्थी द्वारा ले जाए जा रहे बॉक्स/कंटेनर से की गई थी, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते, यह तर्कसंगत नहीं है। इस तरह के तर्क को *कल्लू खान (सुप्रा.)* और *जीत राम (सुप्रा.)* के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा समर्थित किया गया था। लेकिन उन मामलों में तथ्य स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। *कल्लू खान* के मामले में, जिस बैग की तलाशी ली गई और जब्त किया गया वह

मोटरसाइकिल पर एक तरफ पड़ा था और *जीत राम* के मामले में, चरस से भरा बोरा उस ढाबे के काउंटर के नीचे से बरामद किया गया जहां आरोपी खाना खा रहा था।

**38.** मामले में अपीलार्थी के हाथ में बक्सा बहुत ज्यादा था। इसके अलावा, अपीलार्थी की स्वयं और उसके कपड़ों की तलाशी ली गई और इसके अलावा, उसके पास मौजूद बक्से की भी तलाशी ली गई। इसलिए, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पालन करना अधिकारी पर निर्भर था।

**39.** लगभग समान तथ्य-स्थिति में यह मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *एस.के. राजू (सुप्रा.)* के मामले में निम्नलिखित शब्दों में विधिवत तय किया गया है:

> *"पीडब्लू-2 ने अपीलार्थी के बैग के साथ-साथ अपीलार्थी के पतलून की भी तलाशी ली। इसलिए, पीडब्लू-2 द्वारा की गई तलाशी न केवल उस बैग की थी जो अपीलार्थी ले जा रहा था, बल्कि अपीलार्थी के व्यक्ति की भी थी। चूंकि अपीलार्थी के व्यक्ति की तलाशी भी शामिल थी, इसलिए इस मामले में धारा 50 लागू होगी। तदनुसार, पीडब्लू-2 को धारा 50(1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक था। जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, धारा 50 के अनिवार्य अनुपालन की आवश्यकता लागू हो जाती है, भले ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास से प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई हो या नहीं। इसलिए, पीडब्लू-2 के लिए यह जरूरी था कि वह अपीलार्थी को राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित करे या पीडब्लू-2 ने अपीलार्थी के बैग के साथ-साथ अपीलार्थी के पतलून की भी तलाशी ली। इसलिए, पीडब्लू-2 द्वारा की गई तलाशी न केवल उस बैग की थी जो अपीलार्थी ले जा रहा था, बल्कि अपीलार्थी के व्यक्ति की भी थी। चूंकि अपीलार्थी के व्यक्ति की तलाश भी शामिल थी, इसलिए इस मामले में धारा 50 लागू होगी। तदनुसार, पीडब्लू-2 को धारा 50(1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक था।*

*जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, धारा 50 के अनिवार्य अनुपालन की आवश्यकता लागू हो जाती है, भले ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास से प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई हो या नहीं।* *इसलिए, पीडब्लू-2 के लिए यह अनिवार्य था कि वह अपीलार्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके विधिक अधिकार के बारे में सूचित करे।"*

**40.** विद्वान लोक अभियोजक द्वारा भरोसा किए गए *दयालु कश्यप (सुप्रा.)* के मामले में निर्णय पर आगे बढ़ते हुए, यह देखना पर्याप्त है कि यह इस मामले पर भी लागू नहीं होता है क्योंकि उस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, की खोज काँवड़ में ले जाए जा रहे व्यक्ति और पॉलिथीन बैग की तलाशी को एक-दूसरे से अलग माना गया।

**41.** फिर प्रश्न आता है कि क्या जब्ती अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उचित अनुपालन कहा जा सकता है। तथ्यात्मक मैट्रिक्स के मूल्यांकन पर इस न्यायालय का मानना है कि अपेक्षित अनुपालन किया गया था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा दी गई इसकी व्याख्या के अनुसार, जब्ती अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में बताए।

**42.** धारा 50 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

*50. शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी।—(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तो वह, यदि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ऐसे व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं।"*

**43.** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 'फर्द बारामदगी' प्रदर्श पी/2 में दर्ज है कि जब अपीलार्थी

से पूछा गया कि क्या वह मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहता है, तो उसने इस अधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। प्रदर्श पी/2 - रिकवरी मेमो के प्रासंगिक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत करना अप्रासंगिक नहीं होगा।

> *"एक व्यक्ति हाथ में लोहे के पीपे की पेटी लेकर भागा तो उसका पिछा कर कोने चुन्नी लाल के मकान के कोने पर पकड़ा जिसको उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम चुन्नी लाल पुत्र रिझूमल खत्री निवासी राय कोलोनी बाड़मेर बताया जिस पर चुन्नी लाल को अपनी व पिपे की तलासी देने बाबत कहा कि वह अपनी व पिपे की किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने देना चाहे तो दे सकता है जिस पर चुन्नीलाल ने तलासी देने से इन्कार किया।"*

**44.** एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, एक जब्ती अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि यदि उसे आवश्यकता हो तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट आदि के पास ले जाए। प्रावधान की भाषा, इसके आयात और अभिप्राय ने विविध राय के साथ कई न्यायिक बहस और निर्णयों को जन्म दिया है, जब तक कि *विजयसिंह चंदुभा जड़ेजा बनाम गुजरात राज्य* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एक संदर्भ का उत्तर नहीं दिया गया। *(2011) 1 एससीसी 609* में रिपोर्ट किया गया है कि कानून को निम्नलिखित शब्दों में आधिकारिक रूप से तय किया गया है:

> *"29. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारी दृढ़ राय है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(1) के तहत सुरक्षा के माध्यम से जिस उद्देश्य से अधिकार संदिग्ध को प्रदान किया गया है, वह है। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान से बचाने के लिए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा झूठे मामले लगाने या थोपने के आरोपों को कम करने के लिए, अधिकार प्राप्त अधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह खोजे जाने वाले व्यक्ति को अवगत कराए। किसी राजपत्रित*

*अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का उसका अधिकार। हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि जहां तक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी के दायित्व का प्रश्न है, यह अनिवार्य है और इसके सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता अवैध वस्तु की बरामदगी को संदिग्ध बना देगी और दोषसिद्धि को निष्फल कर देगी यदि इसे केवल ऐसी तलाशी के दौरान आरोपी के शरीर से अवैध वस्तु की बरामदगी के आधार पर दर्ज किया गया हो। <u>इसके बाद, संदिग्ध उक्त प्रावधान के तहत उसे दिए गए अधिकार का प्रयोग करना चुन भी सकता है और नहीं भी।</u>*

*......*

*31. हमारी राय है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता के साथ "पर्याप्त अनुपालन" की अवधारणा जोसेफ फर्नांडीज (सुप्रा.) और प्रभा शंकर दुबे (सुप्रा.) में उक्त धारा के जनादेश में प्रस्तुत की गई और पढ़ी गई है। धारा 50 की उप-धारा (1) की भाषा से न तो यह बलदेव सिंह के मामले (सुप्रा.) में निर्धारित आदेश के अनुरूप है। <u>यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रश्न कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं और धारा 50 की आवश्यकता पूरी की गई है, परीक्षण का विषय है। इस संबंध में कोई पूर्ण फार्मूला निर्धारित करना न तो संभव होगा और न ही संभव होगा।"</u>*

**45.** रिकवरी मेमो के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें दर्ज है कि अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था। इतना ही नहीं, पीडब्लू-7 - जब्ती अधिकारी, घनश्याम सिंह ने अपने बयान में कहा है कि अपीलार्थी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में 'परामर्श' दिया गया था। कथन के प्रासंगिक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत करना

अप्रासंगिक नहीं होगा:

> *"उसके बाद उसे रूबरू मजिस्ट्रेट के या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष अपनी व अपने साज सामान की तलाशी लिवाये जाने की समझाइश की लेकिन उसने दोनों ही बातों से इंकार किया।"*

**46.** अभिव्यक्ति "समझाइश" अभिव्यक्ति "समझाना" से अधिक कुछ समाहित करती है। अंग्रेजी में इसका पर्यायवाची/निकटतम अनुवाद हो सकता है- "परामर्श देना। परामर्श शब्द का दायरा सरल शब्द "समझाना" से अधिक व्यापक है। समझाइश या परामर्श इस हद तक जाता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में अपनी तलाशी लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।

**47.** *लादूलाल गुर्जर (सुप्रा.)* के मामले में, पुलिस कर्मियों ने वर्तमान मामले के विपरीत, आरोपी को तलाशी के उद्देश्य से राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का निर्देश दिया, जहां आरोपी को उसके लिए उपलब्ध विकल्प के बारे में सूचित किया गया था। इसी तरह, *संजीव (सुप्रा.)* के मामले में, गिरफ्तारी मेमो में यह नहीं दर्शाया गया कि आरोपी व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत तलाशी लेने से पहले सूचित किया गया था या कोई विकल्प दिया गया था। इसलिए, आरोपी-अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए दोनों निर्णय उसके पक्ष में नहीं हैं क्योंकि वे तथ्यों पर भिन्न हैं।

**48.** इसके अलावा, प्रश्नगत खोज वर्ष 1989 में की गई थी, जब इस मुद्दे पर कानून अभी भी बन रहा था। अदालतों ने धारा 50 के तहत दायरे और आवश्यकता पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है और 2011 में ही इसका निपटारा कर दिया गया है। इसलिए, भले ही संबंधित अधिकारी कुछ पहलुओं पर इच्छुक हो, खोज को शून्य नहीं किया जा सकता है। ऊपर बताए गए कारणों से, इस न्यायालय की राय में, पूर्व में क्या दर्ज किया गया है। पी/2, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन आवश्यक है, जैसाकि उस समय कानून द्वारा परिकल्पित किया गया था।

**49.** इसके बाद वर्तमान मामले में शामिल मुख्य प्रश्न आता है - क्या मौजूदा तथ्यों में धारा 42 के प्रावधानों का पालन किया जाना था और यदि हाँ, तो एनडीपीएस अधिनियम की

धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन न करने का क्या प्रभाव होगा .

**50.** एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 को त्वरित संदर्भ के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:-

> *"42. वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति - (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नशीले पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभाग या अर्धसैनिक बलों या सशस्त्र सहित केंद्र सरकार के किसी भी अन्य विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी) केंद्र सरकार या राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग के किसी ऐसे अधिकारी (चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी) द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त बल। किसी राज्य सरकार को, जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए और लिखित रूप में लिए गए ज्ञान या जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि कोई मादक दवा, या मनःप्रभावी पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज़ या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के होने का साक्ष्य दे सकती है या कोई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या कोई दस्तावेज़ या अन्य वस्तु जो किसी अवैध तरीके से रखने का साक्ष्य दे सकती है अर्जित संपत्ति जो इस अधिनियम के अध्याय वीए के तहत जब्ती या फ्रीजिंग या जब्ती के लिए उत्तरदायी है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में रखी या छुपाई जाती है, -*
>
> *(क) ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करेगा और तलाशी लेगा;*

*(ख) प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़ दें और ऐसे प्रवेश में आने वाली किसी भी बाधा को हटा दें;*

*(ग) ऐसी दवा या पदार्थ और उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों और किसी भी अन्य वस्तु और किसी भी जानवर या वाहन को जब्त कर सकता है जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी है और किसी भी दस्तावेज या अन्य लेख को जब्त कर सकता है जिसके लिए उसके पास कारण है विश्वास है कि इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के कमीशन का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जो इस अधिनियम के अध्याय वीए के तहत जब्ती या फ्रीजिंग या जब्ती के लिए उत्तरदायी है; और*

*(घ) हिरासत में लेना और तलाशी लेना, और, यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है;*

*बशर्ते कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत दिए गए निर्मित दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के निर्माण के लिए लाइसेंस धारक के संबंध में, ऐसी शक्ति का प्रयोग उप-निरीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा:*

*बशर्ते कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि साक्ष्य छुपाने का अवसर दिए बिना या किसी अपराधी के भागने की सुविधा दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह किसी भी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर*

*सकता है और तलाशी ले सकता है। अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के बाद सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का समय।*

*(2) जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या उसके प्रावधान के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, तो वह बहत्तर घंटे के भीतर अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को उसकी एक प्रति भेजेगा।*

**51.** यह अभियोजन पक्ष का स्वीकृत मामला है कि जब्ती अधिकारी को पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर से तलाशी के लिए आगे बढ़ने का निर्देश मिला क्योंकि ऐसी सूचना थी कि श्री रिजुमल की दुकान/निवास में प्रतिबंधित पदार्थ पड़ा हुआ है। इस निर्देश को आगे बढ़ाते हुए ही जब्ती अधिकारी तलाशी लेने के उद्देश्य से रिजुमल - (मैसर्स चुन्नीलाल बाबूलाल) की दुकान पर गए थे।

**52.** पुलिस के दुकान में प्रवेश करने से पहले, कहा जाता है कि अपीलार्थी दुकान से भाग गया था, जिस समय उसे रोका गया, रोका गया और तलाशी ली गई। हालाँकि, अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी सड़क पर की गई थी, न कि दुकान या आवास से, लेकिन तथ्य यह है कि जब्ती अधिकारी अनिवार्य रूप से उक्त रिज़ुमल की दुकान/निवास पर तलाशी लेने के लिए निकले थे।

**53.** यह केवल एक आकस्मिक परिस्थिति थी कि अपीलार्थी ने दुकान/निवास छोड़ दिया था और जब वह दुकान से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसे रोक लिया गया। यह तलाशी लेने का प्रस्ताव है जिसके लिए वारंट की आवश्यकता होती है या दूसरे शब्दों में, किसी दुकान या किसी व्यक्ति के आवास पर तलाशी लेने से पहले वारंट जरूरी है।

**54.** संबंधित जब्ती अधिकारी/एस.एच.ओ. के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 94 के तहत आवश्यक वारंट प्राप्त करना अनिवार्य था। यदि एस.एच.ओ. उनका विचार था कि तलाशी वारंट प्राप्त करने से आरोपी को पदार्थ या साक्ष्य छुपाने के लिए एक खिड़की मिल जाएगी, उसे इस तरह के विश्वास के लिए आधार दर्ज करने की आवश्यकता थी। दरअसल, उन्हें न केवल विश्वास के लिए आधार दर्ज करने

की आवश्यकता थी, बल्कि 72 घंटों के भीतर ऐसे आधारों की प्रति उच्च अधिकारियों को भेजने की भी आवश्यकता थी।

**55.** यदि विद्वान लोक अभियोजक के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि चूंकि वसूली दुकान या आवास से नहीं बल्कि रास्ते से की गई थी, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो यह पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान माना जाता है कि, जब्ती अधिकारी उक्त रिज़ुमल के व्यावसायिक परिसर और आवास पर तलाशी लेने के लिए आगे बढ़े थे। यह केवल संयोग की बात थी कि अपीलार्थी-अभियुक्त को एहसास हुआ कि पुलिस आ रही है और इसलिए, दुकान में पड़े पदार्थ को लेकर भाग गया, लेकिन दुकान के बाहर पकड़ा गया।

**56.** इस न्यायालय के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान मनमानी और अनुचित खोजों से बचने के लिए बनाए गए हैं; फर्जी वसूली को समाप्त करना और नागरिकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाना। वर्तमान मामले में, न तो बिना सर्च वारंट के कार्यवाही करने का आधार दर्ज किया गया है और न ही उच्च अधिकारियों को ऐसे कारण की कोई सूचना दी गई है। इसलिए, खोज मौलिक रूप से शून्य थी।

**57.** यदि मामले में जो व्याख्या दी जा रही है वह नहीं दी गई है, तो, पुलिस कर्मियों के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के आदेश का उल्लंघन करना और उसके ठीक बाहर वसूली का मंचन करना या चित्रित करना बहुत सुविधाजनक होगा। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 की कठोरता/अधिदेश से छूट का दावा करने के लिए खरीदारी करें।

**58.** कोई कार्रवाई जो अन्यथा अवैध थी या कानून के अधिकार के बिना थी, उसे केवल इसलिए वैध नहीं ठहराया जा सकता है या वैध नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जब्ती अंततः सड़क पर की गई थी, न कि दुकान या निवास में। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 में शामिल अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करना इस मामले में बड़ा अपराध है।

**59.** मेरा उपरोक्त दृष्टिकोण *जगदीश* (सुप्रा.) के निर्णय से पुष्ट हुआ है, जहां, समान परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष धारा 42(2) के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा और इस प्रकार, न्यायालय ने निम्नानुसार कहा :

*"18. अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकता केवल तकनीकी नहीं है। वास्तव में, अधिनियम की धारा 42 के लिए पर्याप्त अनुपालन या इसके अनिवार्य प्रावधानों की आवश्यकता है। चूंकि एनडीपीएस अधिनियम लगभग एक कठोर कानून है, इसलिए अधिनियम द्वारा ही बड़ी संख्या में सुरक्षा सावधानियां निर्धारित की गई हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि जैसे ही पुलिस को किसी मुखबिर से सूचना मिलती है, वह वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होती है। यह आवश्यकता पुलिस की ज्यादती को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है कि पुलिस किसी नागरिक को झूठा न फंसाए। यह आवश्यकता अधीनस्थ अधिकारियों के कामकाज की निगरानी के लिए उच्च अधिकारियों पर भी बोझ डालती है। इसलिए, यह आवश्यकता अभियुक्त के हित में और पुलिस विभाग की दक्षता के हित में है।*

*... ... ...*

*... ... ...*

*21. यह सच है कि दलेल सिंह (सुप्रा.) और कमल सिंह (सुप्रा.) दोनों के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने देखा था कि यदि अधिनियम की धारा 42 का पर्याप्त अनुपालन होता है, तो मुकदमा ख़राब नहीं होता है। हालाँकि, इन दोनों मामलों में, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना वायरलेस के माध्यम से तभी प्रेषित की जा सकती है जब छापा मारने वाली पक्षकार पेट्रोल पर थी। यदि कोई सूचना थाने पर प्राप्त होती है तो उसे लिख कर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना अनिवार्य है। बेकोडन अब्दुल रहमान बनाम केरल राज्य 2002 क्रि के मामले में। एल.जे. 2529: आरएलडब्ल्यू 2002 (4) एससी 560 माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखा था कि अधिनियम की धारा 42 के*

*प्रावधानों और धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय प्रकृति में अनिवार्य हैं। इसलिए, उनका अनुपालन आवश्यक है।"*

**60.** तथ्यों के वर्तमान सेट में, चूंकि तलाशी वारंट के बिना तलाशी के लिए कार्यवाही करना स्वयं अवैध था, न केवल संबंधित वसूली बल्कि दोषसिद्धि भी ख़राब हो गई है।

**61.** उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 में निहित प्रावधानों का जानबूझकर और स्पष्ट उल्लंघन किया गया था, जिसके लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया जा सकता है और अलग रखा जा सकता है। .

**62.** अतः अपील सफल होती है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बाड़मेर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 29.08.1990 को भी अपास्त कर दिया गया है और अलग रखा गया है।

**63.** अपीलार्थी जमानत पर है; इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.1990 के अनुसार प्रस्तुत उनके जमानत बांड अपास्त कर दिए गए हैं।

**64.** यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो मामले का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

(दिनेश मेहता), न्यायमूर्ति

3-akansha/Arun/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।